

किंद्री शोला

65

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुमति-3

संख्या- 129/37-3-90-37 रनोके० ००-७० लड्नऊ 14 मई 1990

ग्रामसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण छष्ट अधिनियम 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या- 1 सन् 1904) को वारा- 21 के ताव पठित उत्तर प्रदेश (निर्माता कार्ब अधिनियम) अधिनियम 1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-34 सन् 1958) को वारा-63 को उपवारा-(1) के अधीन शमित का प्रयोग करके, राज्यपाल सरकार ग्रामसूचना संख्या- 4674/37-3-37 रनोके० ००-७९ दिनांक 22 नवम्बर 1982 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

उपकुपत ग्रामसूचना में शार्कीँ विनियमित हेतु शोला ("गढ़वाल") के अधीन वारा हुओ मद (2) में क्रम संख्या- 20 पर विवे ग्राम के परिचात निम्न संशोधन ग्राम बढ़ा दिये जायेंगे अर्थात् -

210- कीठड़

22- कोटचुला

23- सुनारगाँव

आज्ञा से

समूनद

संघिल